न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या: 18/2023 (जी.सी.एम.एस. 2023/13)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1.गुरदीप सिंह पुत्र तरसेम सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तह0 श्री करनपुर 2.सुखविन्द्र कौर पत्नी गुरदीप सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. जगदीप सिह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. मनजिन्द्र सिह पुत्र बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. सिमरजीत कौर पत्नी बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर। 4. सुरेन्द्र सिह पुत्र जतन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. हरजिन्द्र सिह पुत्र जतन सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 6. गुरदीप सिह पुत्र तरसेम सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(नाम हटाया गया) 7. सुखविन्द्र कौर पत्नी गुरदीप सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(नाम हटाया गया) 8. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 01.02.2023

उपस्थित अभिभाषकः-1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादीगण

--निर्णय--

दिनांकः 30.07.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 30 एच, पटवार मण्डल रामगढ़संगर की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 8, 46, 47, 49, 83, 84 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में परिवारजन एवं एक ही गांव के सदस्य है। पक्षकारान ने काफी समय से आपसी सहमति से उक्त संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन कर रखा है, जो कि निम्न प्रकार से है :-

नाम पक्षकार	कृषि भूमि का विवरण
जगदीप सिह - मनजिन्द्र सिह पिसरान बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तह0 श्री करनपुर ।	चक 30 एच तहसील श्री करनपुर के खाता स0 83/80 मे मुरबा नबर 45 मे 2.024 है0 नहरी भुमि ,खाता स0 47/46 मे मुरबा नबर 46 मे 3.036 हे0 व मुरबा नबर 62/15 मे 0.063 है0 खाला कुल 3.099 है0 नहरी मय खाला भुमि व खाता स0 8/8 मे मुरबा नबर 35 मे किला नबर 1 मे 0.227है0 , 10 से 13 मे 1.012 हे0 ,14 मे 0.181 है0, 15 मे 0.182 हे0, 16 से 25 मे 2.530 हे0 कुल 4.134 हे0 नहरी भुमि बहिस्सा बराबर बटवारा मे दी हुयी है।
जगदीप सिह 1.012 है0, मनजिन्द्र सिह 1.012 हे0 , पिसरान बलवीर सिह सिमरजीत कौर बलवीर सिह 3.162 है0 जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तह0 श्री करनपुर ।	चक 30 एच तहसील श्री करनपुर के खाता स0 84/79 मे मुरबा नबर 39 ,45 मे कुल 5.186 है0 नहरी भुमि बराबर बटवारा मे दी हुयी है।
सुरेन्द्र सिह - हरजिन्द्र सिह पिसरान जतन सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तह0 श्री करनपुर ।	चक 30 एच तहसील श्री करनपुर के खाता स0 46/48 मे मुरबा नबर 42 मे 6.325 है0 नहरी भुमि ,खाता स0 49/44 मे मुरबा नबर 39 मे 3.011 हे0 व मुरबा नबर 62/22 मे 0.101 है0 खाला कुल 3.112 है0 नहरी मय खाला भुमि व खाता स0 83/80 मे मुरबा नबर 41 मे 3.162 हे0 नहरी भुमि कुल 12.599 है0 नहरी मय खाला भुमि बहिस्सा बराबर बटवारा मे दी हुयी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

गुरदीप सिह पुत्र तरसेम सिह 1.033 है0 ,सुखविन्द्र कौर पत्नी गुरदीप सिह 1.032 है0 जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तह0 श्री करनपुर ।	चक 30 एच तहसील श्री करनपुर के खाता न0 8/8 में मुरब्बा नम्बर 35 में 2 में 0.228 है0, 3 में 0.228 है0, 4 में 0.228 है0, 5 में 0.227 है0, 6-7-8-9 में 1.012 है0, 14 में 0.070 है0, 15 में 0.071 है0 कुल 2.064 है0 जहाँ कृषि करता है वो हुवे है

उक्त वर्णित भूमि पर वादीगण का संयुक्त रूप से काफी समय से शांतिपूर्वक, निरन्तर, निर्विघ्न रूप से काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है, लेकिन उक्त वर्णित संयुक्त खाता में होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा-ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, केन्द्र/राज्य सरकार से कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता इत्यादि की विभिन्न समस्याओं से झुझना पड़ता है। चूंकि वर्तमान में वादीगण का परिवार काफी बढ़ चुका है। भविष्य में वादीगण के बच्चो को उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार से वाद विवाद न हो और वह शांतिपूर्वक भूमि का उपयोग कर सकें। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को अलग से किलावाईज विभाजन करवाना चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा है कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण संयुक्त खाता में भूमि होने व अन्य पारिवारिक असमर्थता का हवाला देकर टाल-मटोल कर रहे है। आज से 10 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण को संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत जोत विभाजन करवाकर, पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार काबिज किलाजात अपने अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इंकार हो गये है। उसी रोज वादीगण को वादहेतुक उत्पन्न हुआ। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण का वादपत्र सहमति बंटवारा अनुसार स्वीकार किया जाकर अलग से खाता तकसीम किये जाने के आदेश फरमावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद विन्दू कायमी की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त फरमाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6, 7 का नाम बतौर प्रतिवादीगण हटाया गया। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम **30 एच,** पटवार मण्डल रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सख्या 08/08 के मुरब्बा नम्बर 35 में कुल 6.198 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम **30 एच,** पटवार मण्डल रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सख्या 08/08 के मुरब्बा नम्बर 35 में कुल 6.198 हैक्टर भूमि व खाता संख्या 46/48 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.325 हैक्टेयर, खाता संख्या 47/46 के मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 3.099 हैक्टेयर, खाता संख्या 49/44 के मुरब्बा नम्बर 39, 62/22 की कुल 3.112 हैक्टेयर, खाता संख्या 83/80 के मुरब्बा नम्बर 41, 45 की कुल 5.186 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 84 के मुरब्बा नम्बर 36, 45, 62/27 की कुल 5.186 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	गुरदीप सिंह पुत्र तरसेम सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्री करनपुर(1.032 हैक्ट.) सुखविन्द्र कौर पत्नी गुरदीप सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर (1.032 हैक्ट.)	30 एच	35	2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				6 ता 9	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
				14	0.070 हैक्टेयर	नहरी	0.58
				15	0.071 हैक्टेयर	नहरी	0.59
2	जगदीप सिह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(4.629 हैक्ट.) मनजिन्द्र सिह पुत्र बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(4.628 हैक्ट.)	30 एच	35	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				10 ता 13	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
				14	0.183 हैक्टेयर	नहरी	1.50
				15	0.182 हैक्टेयर	नहरी	1.51
				16 ता 25	2.530 हैक्टेयर	नहरी	21.00
			45	11, 12	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				18 ता 23	1.518 हैक्टेयर	नहरी	12.60
			46	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				5/2	0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.84
				7 ता 14	2.024 हैक्टेयर	नहरी	16.80
			62/15		0.063 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
3	जगदीप सिह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(1.012 हैक्ट.) मनजिन्द्र सिह पुत्र बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(1.012 हैक्ट.) सिमरजीत कौर पत्नी बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर(3.162 हैक्ट.)	30 एच	36	4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				6	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				7	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				14 ता 17	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
				24, 25	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			45	4	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				7	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				13, 14	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				15	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				16	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				17,24	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

		62/27		0.050 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
सुरेन्द्र सिह पुत्र जतन सिंह जाति जटसिख निवार्सा चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(6.300 हैक्ट.) हरजिन्द्र सिह पुत्र जतन सिह जाति जटसिख निवार्सा चक 30 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(6.299 हैक्ट.)	30 एच	39	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			9 ता 12	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
			18/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.05
			19,20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			21	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
			22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
		62/22		0.101 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
		41	1 ता 12	3.036 हैक्टेयर	नहरी	25.20
			13/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.05
		42	1 ता 25	6.325 हैक्टेयर	नहरी	52.50

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उक्त प्रकरण में राजस्व हानि की गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजैलास सुनाया गया।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर